मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

(574, साउथ सिविल लाईन्स, पचपेढ़ी जबलपुर, 482001)
Off. Ph. 0761-2678352, E-mail:-mplsajab@nic.in, Fax:-0761-2678537

क्र.फा.नं. 21/नेश.लोक.अदा./राविसेप्रा/5818/2025 जबलपुर, दिनांक 1/02/2025

प्रति,

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष,
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
जिला –समस्त

विषयः– लोक अदालत में निराकृत होने वाले प्रकरणों में न्यायालय फीस की वापसी के संबंध में Standard operating procedure (S.O.P.)।

———————

उपरोक्त विषयान्तर्गत माननीय मुख्य न्यायाधिपति एवं मुख्य संरक्षक महोदय म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के अनुमोदन उपंरात लोक अदालत में निराकृत होने वाले प्रकरणों में न्यायालय फीस की वापसी के संबंध में Standard operating procedure इस पत्र के संलग्न आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्न–एस.ओ.पी।

माननीय मुख्य न्यायाधिपति एवं मुख्य सरंक्षक महोदय के आदेशानुसार।

(प्रदीप मित्तल)
सदस्य सचिव

क्र.फा.नं. 21/नेश.लोक.अदा./राविसेप्रा/5818/2025 जबलपुर, दिनांक 1/02/2025

प्रतिलिपिः–

सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, समस्त की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(प्रदीप मित्तल)
सदस्य सचिव

न्यायालय शुल्क वापसी हेतु मानक संचालन प्रक्रिया (SOP)

1. उद्देश्य–

इस मानक संचालन प्रक्रिया का उद्देश्य लोक अदालत या आपसी समझौते से निराकृत प्रकरणों में न्यायालय शुल्क वापसी की प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और सुगम बनाना है।

2. प्रक्रिया विवरण–

2.1 न्यायालय द्वारा प्रमाण पत्र जारी किया जाना–

यदि किसी प्रकरण में न्यायालय द्वारा न्यायालय शुल्क वापसी हेतु आदेश पारित किया जाता है, तो न्यायालय, न्यायालय फीस अधिनियम, 1870 की धारा 16 और 35 के अंतर्गत एक प्रमाण पत्र प्रारूप–1 अथवा प्रारूप–2 में जारी करेगा।

यह प्रमाण पत्र दो प्रतियों में तैयार किया जाएगा, जिसमें से एक प्रति न्यायालय के प्रकरण में संलग्न रहेगी और दूसरी प्रति संबंधित पक्षकार/अधिवक्ता को प्रदान की जाएगी।

प्रमाण पत्र में निम्नलिखित विवरण अंकित होंगे–

- पक्षकार का नाम
- बैंक खाता क्रमांक
- बैंक शाखा का आई.एफ.एस कोड
- वापस की जाने वाली राशि (अंकों एवं शब्दों में)
- प्रमाण पत्र को जावक रजिस्टर में दर्ज कर क्रमांक प्रदान किया जाएगा।

2.2 जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को आवेदन प्रस्तुत करना–

- संबंधित पक्षकार/अधिवक्ता द्वारा प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करते हुए एक आवेदन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में प्रस्तुत किया जावेगा।

- जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रमाण पत्र की छायाप्रति अपनी पत्रावली में संधारित किया जावेगा।
- पक्षकार/अधिवक्ता द्वारा यह प्रमाणित किया जावेगा कि प्रमाण पत्र में वर्णित बैंक खाता विवरण सही है।

2.3 कलेक्टर को प्रेषण–

- जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रमाण पत्र एक कवरिंग लेटर (प्रारूप–3) के साथ कलेक्टर कार्यालय को प्रेषित किया जावेगा।
- कलेक्टर कार्यालय को निर्देशित किया जाएगा कि एक माह के भीतर प्रमाण पत्र में उल्लेखित बैंक खाते में न्यायालय शुल्क की राशि का भुगतान सुनिश्चित किया जावे।
- कवरिंग लेटर की एक प्रति जिला पंजीयक को भी प्रेषित की जाएगी।

2.4 भुगतान प्रक्रिया–

- कलेक्टर कार्यालय से आदेश प्राप्त होने पर, जिला पंजीयक कार्यालय वेण्डर जारी करेगा।
- वेण्डर के आधार पर जिला कोषालय द्वारा संबंधित पक्षकार के बैंक खाते में राशि हस्तांतरित की जाएगी।
- भुगतान की सूचना जिला पंजीयक द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को भेजी जाएगी।

2.5 भुगतान की पुष्टि–

- भुगतान होने की सूचना प्राप्त होने पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण संबंधित पक्षकार/अधिवक्ता को सूचित करेगा।
- पक्षकार/अधिवक्ता को बुलाकर भुगतान प्राप्ति की लिखित स्वीकृति प्राप्त की जाएगी।
- इस प्रक्रिया के अंतर्गत पक्षकार को किसी भी शासकीय कार्यालय में जाने की आवश्यकता नहीं होगी।

3. अन्य महत्वपूर्ण निर्देश–

- प्रमाण पत्र में बैंक खाते का विवरण सही होना सुनिश्चित करने के लिए, पक्षकार/अधिवक्ता को बैंक पासबुक आदि के आधार पर विवरण प्रस्तुत करना होगा।
- कोई भी बैंक दस्तावेज प्रमाण पत्र के साथ संलग्न नहीं किया जाएगा।
- लोक अदालत में निराकृत प्रकरणों में, प्रमाण पत्र लोक अदालत सम्पन्न होने के 15–20 दिनों के भीतर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में प्रस्तुत किए जा सकेंगे, जिससे समस्त प्रमाण पत्रों को एक साथ कलेक्टर को प्रेषित किया जा सके।

4. निष्कर्ष–

इस प्रक्रिया से न्यायालय शुल्क की वापसी सरल, पारदर्शी और शीघ्र हो जाएगी, जिससे पक्षकारों को न्यायालय शुल्क वापसी के लिए किसी भी शासकीय कार्यालय में जाने की आवश्यकता नहीं होगी।

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय, म0प्र0 उच्च न्यायालय/
मुख्य–संरक्षक, म.प्र.रा.वि.से.प्रा द्वारा अनुमोदित

(प्रदीप मित्तल)
सदस्य सचिव

प्रारूप–1

सिविल मामलों मे जारी किये जाने वाले प्रमाण पत्र का प्रारूप

जावक क..... **दिनांक**.....

न्यायालय.....

प्रमाण–पत्र

(न्यायालय फीस अधिनियम, 1870 की धारा 16 के अंतर्गत जारी)

यह प्रमाणित किया जाता है कि इस न्यायालय के समक्ष विचाराधीन सिविल वाद कमांक **RCS A**...../..... (..... विरूद्ध .....) का अंतिम निराकरण इस वाद को सिविल प्रकिया संहिता, 1908 की धारा 89 के अंतर्गत लोक अदालत में उभयपक्ष के मध्य हुए समझौते के आधार पर लोक अदालत में पारित निर्णय/अंतिम आदेश और डिक्री दिनांक.....के द्वारा हुआ है और इसलिए वादी ....., आयु लगभग.....वर्ष,..... निवासी.....इस वाद में उसके द्वारा वादपत्र/अपील के ज्ञापन पर संदाय की गई...../– **रूपये (शब्दो में.....रूपये)** की न्यायालय फीस वापस प्राप्त करने का अधिकारी है और इस प्रयोजन से उसके उस बैंक खाते के विवरण निम्नानुसार है जिस बैंक खातें में उसे उपरोक्त राशि का भुगतान किया जाना है–

Name of Bank.....

Bank Account No.

IFS Code-

अतः यह प्रमाणपत्र न्यायालय फीस अधिनियम, 1870 की धारा 16 की आवश्यकता अनुसार आज दिनांक..... को मेरे हस्ताक्षर और पद मुद्रा से जारी किया जाता है।

न्यायालय की गोल सील

हस्ताक्षर एवं नाम और पदनाम
का मुद्रण/सील

प्रारूप–2

परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138 से संबंधित मामलों में जारी किये जाने वाले प्रमाणपत्र का प्रारूप

जावक क..... **दिनांक**.....

न्यायालय.....

प्रमाण–पत्र

{न्यायालय फीस अधिनियम, 1870 की धारा 16 एवं इस अधिनियम की धारा 35 के तहत राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना कमांक F.No. 9-1-86-B-XXI, dated the 10th April, 1987) के खंड (3) **के अंतर्गत जारी}**

यह प्रमाणित किया जाता है कि इस न्यायालय के समक्ष विचाराधीन रहे दांडिक प्रकरण क. **SCNIA/**...../..... (..... विरूद्ध .....) का अंतिम निराकरण इस प्रकरण को लोक अदालत में निर्दिष्ट किया जाकर आज दिनांक ..... को आयोजित लोक अदालत के माध्यम से और इस लोक अदालत के समक्ष हुआ है और इसलिए इस प्रकरण में आज दिनांक ..... को लोक अदालत में पारित अंतिम आदेश के आधार पर न्यायालय फीस अधिनियम, 1870 की धारा 35 के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना **(Notification F.No. 9-1-86-B-XXI, dated the 10th April, 1987)** के खंड (3) के आलोक में परिवादी..... इस प्रकरण में उसके द्वारा परिवाद पर अदा की गई ...../– **रूपये (शब्दोंमें**– ..... **)** की न्यायालय फीस वापस प्राप्त करने का अधिकारी है और इस प्रयोजन से उसके उस बैंक खाते के विवरण निम्नानुसार हैं जिस बैंक खातें में उसे उपरोक्त राशि का भुगतान किया जाना है–

Name of Bank.....

Bank Account No.

IFS Code-

अतः यह प्रमाणपत्र न्यायालय फीस अधिनियम, 1870 की धारा 16 की आवश्यकता अनुसार आज दिनांक..... को मेरे हस्ताक्षर और पद मुद्रा से जारी किया जाता है।

न्यायालय की गोल सील

हस्ताक्षर एवं नाम और पदनाम
का मुद्रण/सील

प्रारूप–3

कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला ..... (म0प्र0)

प्रति,

कलेक्टर

जिला .....

विषय :– कोर्ट फीस वापिसी राशि का भुगतान किये जाने के संबंध में।

———

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि लोक अदालत में निराकृत होने वाले प्रकरणों में संबंधित पक्षकार द्वारा भुगतान की गयी न्यायालय फीस की राशि उसे वापस प्रदान करने के संबंध में न्यायालय द्वारा प्रमाण पत्र जारी किया गया है और वे प्रमाण पत्र एवं उनके साथ संलग्न प्रपत्र आपकी ओर निम्नलिखित सूची अनुसार प्रेषित किये जा रहे है:–

क.	प्रकरण कमांक	न्यायालय फीस की राशि वापस प्राप्त करने का अधिकार रखने वाले आवेदक/पक्षकार का नाम	न्यायालय का नाम	न्यायालय फीस राशि रू.
1.				
2.				

अतः आप उपरोक्त सूची अनुसार आवेदकगण को उनके प्रमाण पत्रों में वर्णित अनुसार न्यायालय फीस की राशि का भुगतान उनके बैंक खातों में एक माह के भीतर सुनिश्चित कर इस प्राधिकरण को आवश्यक रूप से सूचित करने का कष्ट करें।

सचिव
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
जिला ..... (म0प्र0)